न्यायालय राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण कमाकं .... / 14–15 / निगरानी

कोमल पुत्र पन्ना चिडार
निवासी ग्राम पिपरौदा बुजुर्ग
तहसील कोलारस

.... आवेदक

बनाम

1. विमला बाई पत्नि लालाराम
पुत्री मथुरालाल लोधी निवासी
ग्राम पिपरोदा बुजुर्ग तहसील
कोलारस जिला शिवपुरी

2. मथुरालाल पुत्र जुआर सिंह लोधी
निवासी ग्राम पिपरोदा बुजुर्ग
तहसील
कोलारस जिला शिवपुरी

3. राजेश कुमार पुत्र शिखर जैन
निवासी ~~लश्कर~~ कोलारस

..........रिस्पोडेन्टस

निगरानी आधीन धारा 50 म.प्र. भू.राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश 28.10.2015 न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी म.प्र. प्रकरण.कमांक 03–13–14 अपील

श्रीमान जी,

प्रार्थीगण की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

1. यहकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विपरीत विधान एवं प्रकरण पत्रावली के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को समझने में एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किये बिना आदेश देते में कानूनी त्रुटि की है जिससे प्रार्थीगण न्याय पाने से वंचित रह गये है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक–निगरानी–3732–तीन–2015 जिला–शिवपुरी

कोमल विरूद्ध विमला बाई आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28–05–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री ए.के. अग्रवाल अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला–शिवपुरी प्र. क्र. 03/2013–14/अपील में पारित आदेश दिनांक 28–10–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत इस निगरानी को सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 15–07–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 28/5/19 सदस्य	